न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 7/2017 (उदयपुर आर्डर)

देवीसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी सियाडा का कुआ, पोस्ट बिछडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रूकमणसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी गोडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रेमसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी गोडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गुलाब कुंवर पिता भंवरसिंह जी राजपूत, पत्नी पनसिंह जी राजपूत, निवासी सुखेर, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती इन्द्रा कुंवर पिता भंवरसिंह जी राजपूत, पत्नी खुमाणसिंह जी राजपूत, निवासी झाला का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. लालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी राजपूत, निवासी गोडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. पनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी राजपूत, निवासी गोडवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. पटवारी, पटवार हल्का गुडली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 21.06.2016, प्र॰सं॰ 62/14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अरूण जैन अभिभाषक रे.सं. 1 से 6
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे. 7 से 9

निर्णय **दिनांक 24–10–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी ने रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तुलसीदास जी की सराय में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजियात स्थित है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष नवलसिंह जी के 5 पुत्र लक्ष्मणसिंह, कानसिंह, डूलेसिंह, मानसिंह व दौलतसिंह हुए, लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि में कब्जा व हिस्सा लक्ष्मणसिंह को छोड़कर शेष 4 पुत्रों का ही रहा। लक्ष्मणसिंह ने इस नम्बरों में अपना हिस्सा नहीं होने बाबत् भू–प्रबन्ध विभाग के समक्ष वर्ष 1966 में अंगूठा निशानी कर दी, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से लक्ष्मणसिंह जी का नाम नहीं हटाया, जिससे लक्ष्मणसिंह के मरने के बाद भूमियां उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गयी, जबकि इस भूमि में लक्ष्मणसिंह एवं उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 6 का कोई कब्जा व अधिकार नहीं रहा है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 से 6 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने के प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी का 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आने से धारा 63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लक्ष्मणसिंह एवं उनके वारिसान के खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त होकर हम खातेदार काश्तकार बन गये हैं। अतएवं विवादित भूमि के विक्रय हस्तान्तरित नहीं करनें एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 6 राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त भूमि के सहखातेदार होकर काबिज हैं। नामान्तरकरण संख्या 944 दिनांक 21–09–2012 को खातेदार श्रीमती किशन कुंवर बेवा भंवरसिंह के देहान्त के पश्चात विरासत से खोला गया जो सही है। यह गलत है कि लक्ष्मणसिंह जी ने सेटलमेन्ट में वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्से नहीं होने का कथन किया हो या अंगूठा निशानी की हो। विकल्प में यह भी निवेदन किया कि केवल जवानी कथन के आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते

हैं। विवादित भूमि के विपक्षी संख्या 1 से 6 सहखातेदार होकर काबिज हैं, जिससे उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर उपलब्ध साक्ष्यों पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 21–06–2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–03–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मामले में दिनांक 01–04–2016 की पेशी दिनांक 28–04–2016 के लिए रखी गयी, फिर भी प्रार्थी ने दिनांक 01–04–2016 को ही लिखित बहस पेश कर दी थी। दिनांक 28–04–2016 को पत्रावली निकली ही नहीं थी एवं पेशकार साहब ने बताया कि कैम्प में पत्रावलियों का ढेर लगा हुआ है, आपको कैम्प का नोटिस मिला होगा, मैंने कहा मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, न ही मेरे अधिवक्ता ने इसकी कोई सूचना मुझे दी। कैम्प गुडली में प्रार्थी के अधिवक्ता कभी उपस्थित ही नहीं है, उनकी जानबूझकर गलत उपस्थिति लिखी गयी है। प्रार्थी को प्रथम बार दिनांक 21–02–2017 को उक्त निर्णय की जानकारी हुई। तत्पश्चात् नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर देरी नहीं की गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21–06–2016 अनुसार उभयपक्षों की उपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया गया है, जिसकी अपील की मयाद 20–08–2016 होती है, जबकि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–03–2017 को अर्थात करीब 6½ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। इस सन्दर्भ में अपीलान्ट/प्रार्थी का यह कथन रहा है कि उसके द्वारा अपनी पत्रावली पर चल रही कार्यवाही की जानकारी ली जाती रही है, किन्तु इस बाबत् उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। सिर्फ मौखिक कथनों के आधार पर 6½ माह के विलम्ब को कण्डोन नहीं किया जा सकता एवं इसके लिए जो कारण

अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा बताये गये हैं वह न तो उचित हैं न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट/प्रार्थी विवादित भूमि में लक्ष्मणसिंह द्वारा उनका हिस्सा भू–प्रबन्ध विभाग के समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में अवसायिक करने का कथन करता है, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकृत नहीं है तथा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भी उक्त आवेदन वर्ष 1966 में प्रस्तुत होकर खारिज हो चुका है। किसी रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध उसके हक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अवसायिक किये जाने का अधिकार नहीं है, वैसे भी उक्त आवेदन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, सहखातेदारी की भूमि में कब्जे का बिन्दु गौढ़ होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उभयपक्षों को विधिवत सुनने के बाद प्रार्थी/अपीलान्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–06–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–10–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर